

पत्र संख्या-स्था-2-प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025-26/COMP NO503310 ²⁰⁵⁷ / राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक ::

19/9/2025

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में **GENERAL ADMINISTRATION** के सम्बन्ध में दिनांक 15-09-2025 से 19-09-2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SN	EMPID	NAME	OFF_NAME	MOBILE NO
1	100800	Acche Lal Vishwakarma	Jt. Comm.(E),Prayagraj (B)	9450309738
2	100821	Ajeet Kumar Singh-I	Jt. Comm.(E),Agra (A)	7235002198
3	124090	Anil Kumar Singh-II	Jt. Comm.(E),Varanasi (C)	7007553385
4	100893	Anita Garviyal Smt.	Jt. Comm.(E),Meerut (B)	8090449516
5	124106	Jila Jeet	Jt. Comm.(E),Ghaziabad (A)	7388422927
6	104378	Kamlesh Chandra	Jt. Comm.(E),Lucknow (B)	7235002504
7	124121	Kanchan Kumar Gupta	Jt. Comm.(E),Bareilly (A)	9559393060
8	104400	Kaushal Kishore Verma	Jt. Comm.(E),Kanpur (A)	7235003079
9	112042	Krishna Murari Mishra-I	Jt. Comm.(E), Gonda	7235002921
10	105537	Mohit Gupta	Jt. Comm.(E),Moradabad (A)	9891388190
11	123641	Rakesh Kumar Kaushal	Jt. Comm.(E),Saharanpur (B)	7235002717
12	122837	Ram Murat	Jt. Comm.(E),Sitapur	9718254627
13	110983	Ram Narayan	Jt. Comm.(E),Banda	7235002115
14	124114	Ramesh Kumar Singh Bais	Jt. Comm.(E),Kanpur (C)	8887815875
15	123997	Surendra Bahadur	Jt. Comm.(E),Varanasi (B)	7235002313
16	111397	Vibha Pandey Smt.	Jt. Comm.(E),Aligarh (B)	9450012745
17	124141	Vivechna Mishra Ms.	Jt. Comm.(E),Ayodhya (B)	7235001108
18	123639	Vivek Singh-I	Jt. Comm.(E),Gorakhpur (B)	7355614182
19	124016	Vivek Singh-II	Jt. Comm.(E),Bulandshahar	8601356312
20	124176	Yogesh Kumar Vijay	Jt. Comm.(E), Noida	9532037824

प्रशिक्षण में अधिकारी को उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 15-09-2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक 15-09-2025 की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी

5001
की मही
प्रशिक्षण
16/09/25
09/09/25
15-9-25

- जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी।
 - अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
 - संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा।
 - अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
 - प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
 - प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
 - प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
 - प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA

(~~01/03/2018~~ 09-2025)

अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जौनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्याइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
JASMINE (जैस्मिन)

Date: 09/03/2025
14:19:49 राज्य कर मुख्यालय,